न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामपुर।

वाद सं०–

राज्य बनाम सतीश कुमार व 4 अन्य

धारा–85,115(2),352 बी०एन०एस०व 3/4 दहेज अधि०

थाना–टांडा , जिला– रामपुर

मु०अ०सं०–04/2026

प्रसंज्ञान आदेश

22–05–2026

आज थाना टांडा, जिला रामपुर के विवेचक द्वारा यह आरोप पत्र प्राप्त होकर प्रस्तुत हुआ। आरोप पत्र, केस डायरी तथा अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि अभियुक्तगण **सतीश कुमार, सुनीता व नेहा** के विरूद्ध धारा–**85,115(2),352 बी०एन०एस०व 3/4 दहेज अधि०** एवं **श्रीमती निशा व गोविन्द** के विरूद्ध धारा **352 बी०एन०एस०** में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। प्रथम दृष्टया आरोप पत्र में वर्णित धाराओं के अन्तर्गत आरोप पत्र में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध संज्ञान लिये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्तगण **सतीश कुमार, सुनीता व नेहा** के विरूद्ध धारा–**85,115(2),352 बी०एन०एस०व 3/4 दहेज अधि०** एवं **श्रीमती निशा व गोविन्द** के विरूद्ध धारा **352 बी०एन०एस०** में संज्ञान लिया जाता है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर हो। अभियुक्तगण जरिये सम्मन तलब हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 14–07–2026 को पेश हो।

(अनुपमा सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रामपुर

Digitally signed by ANUPMA SINGH
Date: 2026.05.22 11:59:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court